उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्याः 39/2017/1654/छप्पन-2016-46/2014
लखनऊः दिनांक : 01 मई, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कैप्टन जी0पी0एस0 वालिया को रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2176/छप्पन-2014-19/2011, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए संविदा सेवा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री वालिया ने दिनांक 06 जनवरी, 2015 को कार्यभार ग्रहण् किया। इस प्रकार श्री वालिया की संविदा सेवा अवधि दिनांक 05.01.2017 को समाप्त हो रही है। श्री वालिया द्वारा विभाग में अग्रेतर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री वालिया के उड़ान लाइसेन्स पर निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध टर्बोप्राप वायुयान सुपर किंग एयर बी-200 तथा किंग एयर बी-200 जी0टी0 पृष्ठांकित है और वे इन वायुयानों द्वारा पायलट-इन-कमाण्ड के रूप में वी0आई0पी0 उड़ान सम्पादित करने हेतु निर्धारित योग्यता/ अनुभव धारित करते हैं। शासकीय उड़ानों के सुचारू सम्पादन हेतु निदेशालय में इनकी सेवाओं की आवश्यकता है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री वालिया की संविदा अवधि दिनांक 06 जनवरी, 2017 से अग्रेतर 03 वर्ष बढाये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल कैप्टन जी0पी0एस0 वालिया, पायलट (फिक्स्ड विंग) की संविदा सेवा अवधि दिनांक 06 जनवरी, 2017 से आगामी 03 वर्ष (तीन वर्ष) अर्थात् 05 जनवरी, 2020 तक के लिए शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09-09-2014 द्वारा अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य उड़ान भत्तों तथा अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धिपर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री वालिया को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- श्री वालिया से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

मृत्युंजय कुमार नारायण
सचिव।

श्री जी0पी0एस0 वालिया,
पायलट (फिक्स्ड विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
(परिचालन इकाई)
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 39/2017/1654(1)/छप्पन-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री लवप्रीत सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- कार्मिक अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in